कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
मध्यप्रदेश.

क्रमांक / 2284 / 1 / तकनीकी / 2005 भोपाल, दिनांक 8 / 9 / 2005.

प्रति,

समस्त जिला पंजीयक,

समस्त उप पंजीयक,

मध्यप्रदेश.

विषय :– खसरें में दर्शायी गई दो फसली असिंचित भूमि के सत्यापन के संबंध में ।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1468 / तक / 05 दिनांक 24–6–2005.

–––0–––

उपर्युक्त संदर्भित पत्र द्वारा स्टाम्प शुल्क के अपवंचन को रोकने के उद्देश्य से निर्देश प्रदान किये गये थे कि जिन खसरों में कृषि भूमि को दो फसली दिखाया गया हो तथा तब भी भूमि को असिंचित दर्शाया जा रहा हो, वहां तहसीलदार को पत्र लिखकर पृथक से भूमि की सिचाई की स्थिति की पुष्टि कराई जाये । दिनांक 4–9–2005 को एवं रीवां संभाग के विभागीय अधिकारियों की बैठक में उप पंजीयकों द्वारा बताया गया है कि तहसीलदारों द्वारा सिचाई की स्थिति की पुष्टि नियमित रूप से नहीं किये जाने के कारण पंजीयन कार्य में विलंब हो रहा है, जिससे पक्षकारों को कठिनाई होती है । अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में तहसीलदारों से पुष्टि करवाने हेतु तथा तत्संबंधी जानकारी प्राप्त होने तक दस्तावेज पंजीयन हेंतु लंबित रखने की प्रथा समाप्त की जाये । इसके स्थान पर माह के दौरान पंजीबद्ध दो फसली असिंचित दर्शायी गई भूमि से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी उप पंजीयक अगले माह के प्रथम सप्ताह में जिला पंजीयक को सत्यापन हेतु भेजेंगे, जो इनके सिंचित / असिंचित होने संबंधी तथ्य का सत्यापन जिला कलेक्टर के माध्यम से राजस्व अधिकारियों से करांएगे । जिन प्रकरणों में भूमि सिंचित पाई जाती है, उनसे संबंधित प्रकरण कमी स्टाम्प शुल्क की वसूली हेतु उनके द्वारा दर्ज किये जाएंगे । यह ध्यान रहे कि उप पंजीयक द्वारा पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों को इस कारण से लंबित नहीं रखा जायेगा ।

हस्ता / –

महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश.